राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1287/2025

बी.एल. मिश्रा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री गौरव शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एसएमओ–2 के पद पर राजकीय जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, एक छत के नीचे, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बीर, अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी डॉ अंजू चौधरी, जो एमओ के पद पर कार्यरत है, का स्थानांतरण किया गया है। निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण एसएमओ–2 के पद पर अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3875/2004 डॉ. विजय लक्ष्मी शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2004 प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि याची वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत था और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा था। वहां पर याची के स्थान पर

कनिष्ठ विशेषज्ञ को नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश को दुर्भावनापूर्वक माना गया।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी एसएमओ–2 के पद पर कार्यरत हैं और स्थानांतरण आदेश के द्वारा उन्हें एसएमओ–2 के पद पर ही स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को अपने ही पद के विरूद्ध स्थानांतरित किया गया है। जहां तक निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किये जाने का सवाल है तो अपीलार्थी ये प्रकट करने में असमर्थ रहा है कि वर्तमान में चिकित्सालय में एमओ का कोई पद रिक्त नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी यह प्रकट करने में असमर्थ रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के लिए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में हम आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)